प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

(न्यायपीठ)

न्याय पीठ :- माननीय न्यायामूर्ति श्री टी.पी. शर्मा, तथा
माननीय न्यायामूर्ति श्री रंगनाथ चंद्राकर, न्यायाधीशगण

दाण्डिक अपील संख्या 906/2003

अपीलकर्ता	:	**सुन्दर लाल एवं तीन अन्य**
	बनाम	
प्रत्यर्थी	:	**छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा पुलिस थाना डभरा**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय हेतु विचारार्थ

सही/-
आर. एन. चंद्राकर
न्यायाधीश

माननीय न्यायामूर्ति श्री टी. पी. शर्मा न्यायाधीश

मै सहमत हूं

सही/-
टी. पी. शर्मा
न्यायाधीश
/09/2011

निर्णय के लिए दिनांक 06/09/2011 को सूचीबद्ध करें।

सही/-
आर. एन. चंद्राकर
न्यायाधीश
06/09/2011

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

न्याय पीठ

न्याय पीठ :- माननीय न्यायामूर्ति श्री टी.पी. शर्मा, तथा

माननीय न्यायामूर्ति श्री रंगनाथ चंद्राकर, न्यायाधीशगण

दाण्डिक अपील क्रमांक 906/2003

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलकर्ता (अभिरक्षा में)	:	1. **सुन्दर लाल, पिता – थान सिंह गभेल, उम्र लगभग 50 वर्ष।** 2. **मेदनी कुमार, पिता – प्रभुलाल गभेल, उम्र लगभग 28 वर्ष।** 3. **प्रभुलाल, पिता – थान सिंह गभेल, उम्र लगभग 52 वर्ष।** 4. **शिव कुमार उर्फ दयाल, पिता – प्रभुलाल गभेल, उम्र लगभग 35 वर्ष।**

		उपरोक्त सभी कृषक हैं तथा ग्राम फगुराम, पुलिस थाना डभरा, जिला जांजगीर-चांपा के निवासी हैं।
	बनाम	
प्रत्यर्थी	:	**छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा पुलिस थाना डभरा**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(दण्ड प्रक्रिया संहिता, की धारा 374(2) के अंतर्गत दायर दाण्डिक अपील)

उपस्थित:-

श्री बी.एम.के. बाजपेयी, अधिवक्ता अपीलकर्ताओं की ओर से ।

श्री नीरज मेहता, अधिवक्ता राज्य की ओर से पैनल ।

// निर्णय //

(दिनांक 06/09/2011, को उद्घोषित किया गया)

माननीय न्यायमूर्ति रंगनाथ चंद्राकर द्वारा :-

1. अपीलकर्ताओं ने दण्ड प्रक्रिया संहिता, की धारा 374(2) के अंतर्गत यह अपील प्रस्तुत की है, जो सत्र प्रकरण क्रमांक 477/2002 में पारित दोषसिद्धि के निर्णय तथा दण्डादेश दिनांक 22-07-2003 के विरुद्ध है। उक्त निर्णय में माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सक्ती, जिला बिलासपुर द्वारा यह निर्णित करते हुए कि अपीलार्थियो को विश्राम की हत्या करित करने के लिए दोषी पाते हुए, उन्हें भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 सहपठित धारा 34 के अंतर्गत दोषसिद्ध किया गया तथा प्रत्येक को आजीवन कारावास से दण्डित किया गया और साथ ही प्रत्येक पर ₹1000/- (एक हजार रुपये) का जुर्माना अधिरोपित किया गया। जुर्माने की राशि अदा न करने की दशा में प्रत्येक अपीलकर्ता को तीन माह का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतने का आदेश दिया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. अभियोजन की कार्यवाही की शुरुआत दिनांक 02-11-2002 को सायं 8:20 बजे पुलिस थाना डभरा में आहत विश्राम द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत (प्रदर्श पी/5) के आधार पर हुई, जिसकी उसी दिन कुछ समय पश्चात मृत्यु हो गई। प्रारंभ में अपराध पंजीबद्ध करते समय भारतीय दण्ड संहिता की धारा 341, 294, 323 एवं 506 सहपठित धारा 34 के अंतर्गत अपराध दर्ज किया गया था, किंतु मृतक की मृत्यु हो जाने के पश्चात भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 को भी आरोप में

जोड़ा गया। शिकायत में यह आरोप लगाया गया कि मृतक विश्राम दिनांक 02-11-2002 को सायं लगभग 6:00 बजे अपने खेत से साइकिल द्वारा अपने घर लौट रहा था और जब वह बंधई तालाब के पास पहुँचा, तब अपीलकर्ता सुन्दर लाल ने उसे धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। तत्पश्चात सभी अभियुक्तों ने उसके हाथ-पैर पकड़ लिए तथा अपीलकर्ता सुन्दर लाल ने लाठी से उसके दाहिने हाथ में, कोहनी के ऊपर प्रहार किया और अपीलकर्ता प्रभुलाल ने उसकी कमर पर लाठी से वार किया, जिसके परिणामस्वरूप वह अचेत हो गया। होश में आने पर उसने सहायता के लिए चिल्लाया, किंतु वहाँ कोई नहीं आया और किसी प्रकार वह अपने घर की ओर रवाना हुआ। रास्ते में वह एक व्यक्ति मनोहर यादव के घर रुका, जिसने घटना की सूचना मृतक के परिजनों को दी। इसके पश्चात मृतक विश्राम के परिजन वहाँ पहुँचे, उसे अपने घर ले गए और फिर उसके पुत्र नेतराम राठौर (अ. सा. -2) ने अपने घायल पिता विश्राम को मोटरसाइकिल से पुलिस थाना डभरा पहुँचाया, जहाँ घायल विश्राम ने प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज कराई। इसके बाद जब उसका पुत्र नेतराम राठौर उसे उपचार हेतु मोटरसाइकिल से खरसिया अस्पताल ले जा रहा था, तब रास्ते में ही घायल विश्राम की मृत्यु हो गई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. घायल विश्राम की मृत्यु की सूचना पुलिस थाना को दी गई, जिसके आधार पर मर्ग सूचना प्रदर्श पी/1 दर्ज की गई तथा अपीलकर्ताओं के विरुद्ध भारतीय दण्ड

संहिता की धारा 302 सहपठित धारा 34 के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया। तत्पश्चात, प्रदर्श पी/2 के माध्यम से पंचों को तलब कर मृतक के शव का मृत्यु समीक्षा (इनक्वेस्ट) प्रदर्श पी/3 तैयार किया गया तथा शव को शव-परीक्षण (पोस्टमार्टम) हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, डभरा भेजा गया, जहाँ डॉक्टर जी.एल. मिरी (अ. सा. -11) द्वारा प्रदर्श पी/23 के अनुसार शव-परीक्षण किया गया। शव-परीक्षण के दौरान डॉक्टर द्वारा निम्नलिखित चोटें पाई गईं—

(i) घर्षण - दाहिने डेल्टॉइड भाग में 8 से.मी. × 3 से.मी. का नीला (ब्रूज़), लाल रंग का;

(ii) घर्षण - दाहिने हाथ के मध्य भाग के पार्श्व भाग में 7 से.मी. × 3 से.मी. का सूजनयुक्त नीला, लाल रंग का;

(iii) घर्षण(दो) - दाहिनी स्कैपुला पर तिरछे रूप में दो नील—एक 11 से.मी. × 3 से.मी. तथा दूसरा 10 से.मी. × 3 से.मी., लाल-काले रंग के;

(iv) घर्षण - दाहिनी स्कैपुला के नीचे पार्श्व दिशा में तिरछा 18 से.मी. × 3 से.मी. का नीला, लाल-काले रंग का;

(v) दो घर्षण - पीठ के मध्य भाग से दाहिने लम्बर भाग तक तिरछे रूप में दो नील—एक 24 से.मी. × 3 से.मी. तथा दूसरा 22 से.मी. × 3 से.मी., लाल-काले रंग के;

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(**vi**) घर्षण - दाहिने लम्बर भाग के ठीक पार्श्व में 4.5 से.मी. × 3 से.मी. का नीला, लाल रंग का।

(**vii**) उपर्युक्त समस्त चोटें मृत्यु-पूर्व (एण्टी मॉर्टम) थीं तथा कठोर एवं भोंथरे वस्तु से कारित पाई गईं। दाहिने हाथ के विच्छेदन पर दाहिनी ह्यूमरस हड्डी के मध्य भाग में फ्रैक्चर, रक्त-नलिकाओं का फटना तथा अत्यधिक मात्रा में जमा हुआ थक्का रक्त पाया गया। डॉक्टर की राय में मृत्यु का कारण अत्यधिक आंतरिक रक्तस्राव से उत्पन्न सिंकोप (बेहोशी) था तथा मृत्यु मानववध प्रकृति (होमिसाइडल) की थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. अन्वेषण अधिकारी तथा पटवारी द्वारा मौका नक्शा प्रदर्श पी/18 एव पी/19 के अंतर्गत तैयार किया गया। अभियुक्त/अपीलकर्ताओं को अभिरक्षा में लेकर उनकी निशानदेही पर लाठियाँ प्रदर्श पी/7, पी/8, पी/9 एवं पी/10 के अंतर्गत जप्त की गईं। घटना स्थल से एक साइकिल प्रदर्श पी/17 के अंतर्गत जप्त की गई। इसके अतिरिक्त, शव-परीक्षण के उपरांत मृतक के पहने हुए वस्त्र प्रदर्श पी/37 के अंतर्गत जप्त किए गए।

5. साक्षियों के कथन दण्ड प्रक्रिया संहिता, की धारा 161 के अंतर्गत दर्ज किए गए। विवेचना पूर्ण होने के पश्चात अभियोग-पत्र (चार्जशीट) अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, सक्ती के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने प्रकरण को विचारण

हेतु सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर के न्यायालय में उपार्पित (कमिट) किया। जहां से उक्त प्रकरण विचारण हेतु माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सक्ती के न्यायालय को प्राप्त हुआ, उन्होंने अपीलकर्ता सुन्दर लाल के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 सहपठित धारा 34 तथा धारा 506 के अंतर्गत आरोप विरचित किए गए, जबकि अन्य अपीलकर्ताओं के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 सहपठित धारा 34 के अंतर्गत आरोप विरचित किए गए। अपीलकर्ताओं ने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों से इन्कार करते हुए दोष अस्वीकार नहीं किया।

6. अपीलकर्ताओं के दोष को सिद्ध करने हेतु अभियोजन पक्ष द्वारा कुल 17 साक्षियों का परीक्षण कराया गया। अभियुक्त/अपीलकर्ताओं के कथन दण्ड प्रक्रिया संहिता, की धारा 313 के अंतर्गत दर्ज किए गए, जिसमें उन्होंने अपने विरुद्ध प्रकट हुई परिस्थितियों का खंडन किया तथा स्वयं को निर्दोष बताते हुए झूठा फँसाए जाने का अभिवाक किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान किए जाने के पश्चात, माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा उपर्युक्तानुसार अपीलकर्ताओं को दोषसिद्ध करते हुए दण्डित किया गया।

8. हमने पक्षकारों की ओर से प्रस्तुत विद्वान् अधिवक्ताओं को सुना है तथा विचारण न्यायालय के अभिलेखों के साथ-साथ विवादित (आक्षेपित) निर्णय का अवलोकन किया।

9. अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री बी.एम.के. बाजपेयी ने जोरदार तर्क प्रस्तुत करते हुए कहा कि अपीलकर्ताओं की दोषसिद्धि मुख्यतः मृतक के चचेरे भाई कल्याण सिंह राठौर (अ. सा. -1), मृतक के पुत्र नेतराम राठौर (अ. सा. -2), मृतक की पुत्री धनेश्वरी राठौर (अ. सा. -4), मृतक की पत्नी अहिल्या राठौर (अ. सा. -7) तथा मृतक के छोटे भाई श्रीराम राठौर (अ. सा. -9) के साक्ष्य तथा डॉक्टर गोरेलाल मिरी (अ. सा. -11) की चिकित्सकीय साक्ष्य पर आधारित है। इन साक्षियों के कथनों में महत्वपूर्ण विरोधाभास एवं विलोपन (ओमिशन) विद्यमान हैं। माननीय विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क प्रस्तुत किया कि कल्याण राठौर (अ. सा. -1), नेतराम राठौर (अ. सा. -2), धनेश्वरी राठौर (अ. सा. -4), अहिल्या राठौर (अ. सा. -7) तथा श्रीराम राठौर (अ. सा. -9) हितबद्ध साक्षी हैं, अतः उनके साक्ष्य का स्वतंत्र एवं निष्पक्ष स्रोतों से समर्थन आवश्यक है। स्वतंत्र स्रोत से समर्थन के अभाव में, उक्त साक्षियों के कथनों के आधार पर अपीलकर्ताओं को दोषसिद्ध करना सुरक्षित नहीं है। यह भी तर्क दिया गया कि मनोहर यादव, जिसके घर घायल अवस्था में विश्राम रुका था, का परीक्षण अभियोजन द्वारा नहीं कराया

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

गया। अतः मनोहर यादव तथा अन्य स्वतंत्र साक्षियों का परीक्षण न किया जाना अभियोजन की कहानी पर संदेह उत्पन्न करता है। इसके अतिरिक्त, प्रथम सूचना प्रतिवेदन के अनुसार पीड़ित को केवल दो चोटें आई थीं, जबकि अ. सा. -11 डॉक्टर गोरेलाल मिरी के अनुसार मृतक के शरीर पर आठ नील (ब्रूज़) पाए गए, जिससे अभियोजन कि कहानी में असंगति परिलक्षित होती है और इस संबंध में कोई भी साक्ष्य अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है कि मृतक को आई शेष छह अतिरिक्त चोटें किस प्रकार तथा किसके द्वारा कारित की गईं। इस प्रकार चिकित्सकीय प्रतिवेदन भी संदेहास्पद प्रतीत होती है। विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह भी तर्क प्रस्तुत किया कि घटना के दौरान अपीलकर्ता सुन्दरलाल को भी चोटें आई थीं तथा उसका चिकित्सकीय परीक्षण डॉक्टर द्वारा किया गया था। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य इस निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए पर्याप्त नहीं हैं कि वर्तमान अपीलकर्ताओं द्वारा ही मृतक की मृत्यु कारित की गई। अपने तर्कों के समर्थन में अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने ***रामाशीष यादव एवं अन्य बनाम बिहार राज्य***[1]***, तेज प्रकाश बनाम हरियाणा राज्य***[2]***, श्रीपत पिता किसना चमार बनाम***

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

[1] 2000 एस.सी.सी. (आपराधिक) 9

[2] 1995 क्रिमिनल लॉ रिपोर्टर (सुप्रीम कोर्ट) 661

मध्यप्रदेश राज्य[3] ***तथा साहबजान एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य***[4] के प्रकरणों का अवलंब लिया है।

10. इसके विपरीत, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान पैनल अधिवक्ता श्री नीरज मेहता ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त हैं कि वर्तमान अपीलकर्ताओं ने मृतक विश्राम की मानववध मृत्यु सआशय एवं पूर्वविचारित मनोभाव से कारित की। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलकर्ताओं को दोषसिद्ध कर दण्डित किए जाने संबंधी निष्कर्ष न्यायसंगत एवं उचित हैं तथा अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों के सम्यक मूल्यांकन के पश्चात न्यायालय द्वारा अपीलकर्ताओं को सही रूप से दोषसिद्ध किया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों का मूल्यांकन करने हेतु हमने अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों का परीक्षण किया है।

12. वर्तमान प्रकरण में मृतक विश्राम की मृत्यु का मानववध विवादित नहीं है। इसके अतिरिक्त, कल्याण सिंह राठौर (अ. सा. -1), नेतराम राठौर (अ. सा. -2), धनेश्वरी राठौर (अ. सा. -4), अहिल्या राठौर (अ. सा. -7) एवं श्रीराम राठौर (अ. सा. -9) के साक्ष्यों तथा डॉक्टर गोरेलाल मिरी (अ. सा. -11) की चिकित्सकीय साक्ष्य एवं

---

[3] क्रिमिनल लॉ रिपोर्टर (मध्यप्रदेश) 1987

[4] 1990 क्रिमिनल लॉ जर्नल 980

शव-परीक्षण प्रतिवेदन (प्रदर्श पी/23) से भी यह स्थापित होता है कि मृतक की मानववध प्रकृति की थी।

13. जहाँ तक विचाराधीन अपराध में अपीलकर्ताओं की संलिप्तता का प्रश्न है, अपीलकर्ताओं की दोषसिद्धि कल्याण सिंह राठौर (अ. सा. -1), नेतराम राठौर (अ. सा. -2), धनेश्वरी राठौर (अ. सा. -4), अहिल्या राठौर (अ. सा. -7) तथा श्रीराम राठौर (अ. सा. -9) के साक्ष्यों पर आधारित है।

14. कल्याण सिंह राठौर (अ. सा. -1), जो मृतक का चचेरा भाई है तथा जिसने मर्ग सूचना प्रदर्श पी/1 दर्ज कराई थी, ने पंचनामा प्रदर्श पी/3 का समर्थन करते हुए अपने कथन में बताया कि घटना के दिन मृतक अपने खेत की सिंचाई करने गया था। उसके भतीजे मनोहरलाल द्वारा यह सूचना दिए जाने पर कि मृतक के साथ मारपीट की गई है, वह मृतक के घर पहुँचा, जहाँ उस समय मृतक जीवित किंतु घायल अवस्था में था। वहाँ मृतक ने उसे बताया कि बंधई तालाब के पास अपीलकर्ता सुन्दर, मेदनी, प्रभु एवं दयाल द्वारा उसके साथ गंभीर मारपीट की गई है, जिससे उसका हाथ टूट गया तथा कमर एवं पैरों में चोटें आईं। इसके पश्चात मृतक को शिकायत दर्ज कराने हेतु पुलिस थाना डभरा ले जाया गया और जब उसे पुनः गाँव लाया गया, तब उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु समीक्षा तैयार करते समय इस साक्षी ने मृतक के पैरों, हाथों, कमर तथा पीठ पर लाठी के प्रहार के निशान

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

देखे। प्रतिपरीक्षा में यह साक्षी अपने कथन पर अडिग रहा तथा मर्ग सूचना प्रदर्श पी/1 एवं मृत्यु समीक्षा प्रदर्श पी/3 की पुष्टि करते हुए स्पष्ट रूप से कहा कि मृतक विश्राम ने उसे बताया था कि खेतों की सिंचाई को लेकर हुए विवाद के कारण सभी अभियुक्त/अपीलकर्ताओं द्वारा उसके साथ मारपीट की गई थी।

15. नेतराम राठौर (अ. सा. -2), जो मृतक का पुत्र है, के अनुसार दिनांक 02-11-2002 को, अर्थात् घटना के दिन, सायं लगभग 7:30 बजे लक्ष्मण यादव एवं संजू यादव उसके घर आए और उसे बताया कि सभी अभियुक्त/अपीलकर्ताओं ने उसके पिता विश्राम के साथ झगड़ा किया है। लक्ष्मण यादव ने यह भी बताया कि उसका पिता विश्राम उसके घर के पास पड़ा हुआ है। इस पर नेतराम राठौर अपने भाई के साथ लक्ष्मण यादव के घर गया, जहाँ उसके पिता विश्राम ने उसे बताया कि सिंचाई के विवाद को लेकर सभी अभियुक्त/अपीलकर्ताओं ने लाठियों से उसके साथ मारपीट की है। उसके द्वारा उसे मोटरसाइकिल से उसके घर लाया गया , जहाँ श्रीराम राठौर (अ. सा. -9), कल्याण सिंह राठौर (अ. सा. -1), अहिल्या बाई (अ. सा. -7) तथा धनेश्वरी बाई (अ. सा. -4) उपस्थित थे। उसके पिता विश्राम का दाहिना हाथ टूटा हुआ था तथा वह पीठ में दर्द की शिकायत कर रहा था। परिजनों द्वारा पूछे जाने पर उसके पिता को शिकायत दर्ज कराने हेतु पुलिस थाना डभरा ले जाया गया, जहाँ प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्रदर्श पी/5) दर्ज की गई तथा दाहिना

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हाथ टूटा होने के कारण उसने बाएँ हाथ के अंगूठे का निशान लगाया। इसके बाद उसके पिता को डभरा अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टर उपलब्ध नहीं मिला और जब उसे मोटरसाइकिल से खरसिया अस्पताल ले जाया जा रहा था, तब रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई। उसके पिता को पुनः घर लाया गया और अगले दिन प्रातः उसके बड़े भाई कल्याण (अ. सा. -1) तथा जगन्नाथ ने पुलिस थाना डभरा जाकर उसके पिता की मृत्यु की सूचना दी।इस साक्षी की विस्तृत प्रतिपरीक्षा की गई, किंतु बचाव पक्ष द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं लाया जा सका जिससे इस साक्षी के कथन पर अविश्वास किया जा सके। इसके विपरीत, कंडिका 18 में उसने स्पष्ट रूप से कहा कि उसके पिता ने उसे बताया था कि सभी अभियुक्त/अपीलकर्ताओं ने लाठियों से उसके साथ मारपीट की है। इस साक्षी का कथन मृतक की पत्नी अहिल्या राठौर (अ. सा. -7) तथा पुत्री धनेश्वरी राठौर (अ. सा. -4) के साक्ष्यों से पूर्णतः पुष्ट होता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. उपर्युक्त साक्षियों के साक्ष्यों का सूक्ष्म परीक्षण करने पर यह स्पष्ट होता है कि घटना सायंकाल घटित हुई थी तथा मृतक द्वारा स्वयं शीघ्रतापूर्वक प्रथम सूचना प्रतिवेदन दर्ज कराई गई, जिसमें सभी अभियुक्त/अपीलकर्ताओं के नाम स्पष्ट रूप से अंकित हैं। प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्रदर्श पी/5) में यह स्पष्ट उल्लेख है कि भूमि की सिंचाई को लेकर हुए विवाद के कारण अपीलकर्ता सुन्दर लाल ने मृतक

को उसकी साइकिल से धक्का देकर नीचे गिरा दिया, तत्पश्चात सभी अभियुक्तों ने उसके हाथ-पैर पकड़ लिए तथा अपीलकर्ता सुन्दर लाल ने लाठी से उसके दाहिने हाथ में, कोहनी के ऊपर प्रहार किया और अपीलकर्ता प्रभुलाल ने लाठी से उसकी कमर पर वार किया, जिसके परिणामस्वरूप वह अचेत हो गया। शिकायत में यह भी उल्लेखित है कि होश में आने पर उसने सहायता के लिए पुकार लगाई और किसी प्रकार मनोहर यादव के घर पहुँचा, जहाँ से उसके पुत्रों द्वारा उसे उसके घर ले जाया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. उपर्युक्त साक्षियों के साक्ष्यों के पुनर्मूल्यांकन से यह पाया गया कि मृतक विश्राम द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम सूचना प्रतिवेदन उक्त साक्षियों के कथनों से पूर्णतः पुष्ट होती है और इसे प्रारंभिक स्तर पर ही अस्वीकार नहीं किया जा सकता। केवल स्वतंत्र स्रोतों से समर्थन के अभाव में परिजनों के साक्ष्यों को त्याज्य नहीं माना जा सकता। यह भी उल्लेखनीय है कि मृतक द्वारा उक्त साक्षियों को बताई गई घटना का वृतांतअपीलकर्ता सुन्दर लाल द्वारा दिनांक 03-11-2002 अर्थात घटना के अगले दिन दर्ज कराई गई रोज़नामचा सनहा (प्रदर्श पी/28) से भी पुष्ट होती है, जिसमें सिंचाई के विवाद को लेकर मृतक द्वारा उस पर हमला किए जाने का उल्लेख है। अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क कि अपीलकर्ता सुन्दर लाल को भी चोटें आई थीं, जिन्हें अभियोजन ने स्पष्ट नहीं किया, स्वीकार्य नहीं है,

क्योंकि प्रदर्श पी/28 के अवलोकन से स्पष्ट है कि दोनों घटनाओं का समय एवं स्थान भिन्न थे। जिस घटना में अपीलकर्ता सुन्दर लाल को चोटें आईं, वह खेत में हुई थी, जबकि जिस घटना में मृतक को चोटें आईं, वह बंधई तालाब के पास घटित हुई। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि दोनों घटनाएँ एक ही थीं। यह संभावना भी नकारा नहीं जा सकती कि खेत में घटित प्रथम घटना के परिणामस्वरूप ही दूसरी घटना हुई। अभिलेख से यह भी प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता आपस में एक ही परिवार के रिश्तेदार हैं और प्रथम घटना के प्रतिशोध में उन्होंने पूर्वविचारित आशय से मृतक पर हमला किया, जिससे उनका मृत्यु कारित करने का आशय स्पष्ट होता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. जहाँ तक अभियोजन द्वारा मनोहर यादव का परीक्षण नहीं कराये जाने का प्रश्न है, वह कोई आवश्यक अथवा महत्वपूर्ण साक्षी नहीं था। अभियोजन की कहानी के अनुसार वह केवल इस तथ्य की पुष्टि कर सकता था कि घटना के पश्चात मृतक कुछ समय के लिए उसके घर ठहरा था। किंतु घटना के तुरंत बाद मृतक द्वारा अपने परिजनों को दिए गए कथन के आलोक में, मनोहर यादव का परीक्षण किया जाना अथवा न किया जाना महत्वहीन हो जाता है।

19. जहाँ तक अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाए गए इस अन्य आधार का संबंध है कि प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्रदर्श पी/5) में मृतक के शरीर पर केवल

दो चोटों का उल्लेख है, जबकि शव-परीक्षण प्रतिवेदन में आठ चोटें पाई गई हैं, इस संबंध में यह स्पष्ट किया गया है कि प्रथम सूचना प्रतिवेदन में यह उल्लेख है कि अपीलकर्ता सुन्दर लाल एवं प्रभुलाल द्वारा किए गए प्रहारों के परिणामस्वरूप मृतक अचेत हो गया था। अतः जिस व्यक्ति को प्रहारों के पश्चात अचेत हो जाना पड़ा हो, उससे यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह अपने शरीर पर आई समस्त चोटों का विवरण अथवा उनकी संख्या का सटीक उल्लेख कर सके। इसके अतिरिक्त, प्रथम सूचना प्रतिवेदन एक पुष्टिकरणात्मक साक्ष्य होती है और उसमें प्रत्येक तथ्य, जैसे कि चोटों की सटीक संख्या, का उल्लेख किया जाना अनिवार्य नहीं होता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20. उपर्युक्त साक्षियों के साक्ष्यों का सूक्ष्म एवं गहन परीक्षण से यह दर्शित होता है कि अभियोजन पक्ष ने अपना प्रकरण सभी युक्तिसंगत संदेह से परे सिद्ध कर दिया है तथा यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त आधार उपलब्ध है कि वर्तमान अपीलकर्ताओं द्वारा ही मृतक विश्राम की मानववध जो हत्या कि कोटि में आता है कारित किया गया था। अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उद्धृत निर्णय वर्तमान प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर लागू नहीं होते।

21. अभिलेख पर उपलब्ध समस्त साक्ष्यों का सम्यक परीक्षण करने तथा प्रकरण के सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरांत, हम इस सुविचारित मत पर पहुँचे हैं कि

विचारण न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय में कोई अवैधता अथवा त्रुटि नहीं है। परिणामस्वरूप, अपील निराधार होने के कारण अस्वीकार किए जाने योग्य है और इसे एतद्द्वारा खारिज किया जाता है।

सही/- **सही/-**

टी. पी. शर्मा **आर.एन. चंद्राकर**

न्यायामूर्ति **न्यायामूर्ति**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By .....Adv. Rahul Krishna Sahu